फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री शंकरलाल

बनाम

विपक्षी : श्री कमला शंकर व अन्य

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम

पत्रावली संख्या : 153/22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 22.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता विपक्षी संख्या 5, 6 उपस्थित। विपक्षी संख्या 1, 3, 4 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1, 3, 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 7 द्वारा जवाब पेश नही किया गया। विपक्षी संख्या 7 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता विपक्षी संख्या 5, 6 द्वारा आराजी न. 707 को छोडकर शेष आराजी की पत्थरगढी किये जाने पर सहमती जताई। अधिवक्ता पक्षकारान को सुना गया।

हमने पाया की प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा कलवल पटवार हल्का वरणी तहसील भीण्डर की आराजी न. 1762, 704, 705, 706, 707 किता 5 रकबा 0.9700 है. भूमि में प्रार्थी एक मात्र खातेदार है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षी की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमाकंन नहीं होने से सीमा को लेकर विवाद रहता है जिससे पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता विपक्षी संख्या 5, 6 द्वारा आपस में सहमत होकर आराजी न. 707 को छोडकर शेष आराजी की पत्थरगढी किये जाने पर सहमती जताई। अतः अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता विपक्षी संख्या 5, 6 आपस में सहमत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आपसी सहमती अनुसार स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी. का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का आपसी सहमती अनुसार स्वीकार किया जाता है कि मौजा कलवल पटवार हल्का वरणी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की खाता संख्या नया 308 की आराजी न. 1762, 704, 705, 706 किता 4 रकबा 0.8400 है. भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। यदि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम व रेकर्ड में कोई त्रुटि हो तो पत्थरगढी नहीं की जावें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेंगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 14:57:15 IST
Reason: SelfAttested